

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या ~~2607~~ / XVII(4)/2011(136)/2005
देहरादून: दिनांक 26 दिसम्बर 2011
कार्यालय ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के संबंध में प्राविधान किये गये है। इन व्यवस्थाओं के अधीन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अधीन विभिन्न लोक प्राधिकारी ईकाईयों में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्य हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशा संख्या 775 / XVII(4)/2010 दिनांक 24.04.2011 यथावत रहेगा तथा शासनादेशा संख्या 337 / XVII(2)/2010 दिनांक 25.02.2009 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा संलग्न प्रारूप के अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


- 1- यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश दिनांक 24.04.2011 की शेष व्यवस्थाएँ यथावत लागू रहेगी।
- 2- संबंधित कार्मिको को उपरोक्तानुसार नामित करने पर उन्हें अलग से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

(डा० हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्या ~~2607~~ / XVII(4)/2011(246)/2006 वं तद्दिनांकित


प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य सूचना आयुक्त/सचिव सूचना आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, आई०सी०डी०एस०, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
7. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड।
9. संबंधित अधिकारी।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंडार)
संयुक्त सचिव

संख्या 2607/XVII(4)/2011(136)/2005 दिनांक 26 दिसम्बर 2011 संलग्न

क्र०सं०	लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	निदेशालय आई०सी०डी०एस०	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्यक्रम अधिकारी (मु०) आई० सी० डी० एस० निदेशालय


(लीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव